राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्र: एफ 7 (51)/परि/नियम/मु0/06/III/39186 जयपुर, दिनांक : 06.08.2009
7

कार्यालय आदेश 22/2009

कार्यालय आदेश 12/2009 दिनांक 04.05.2009 द्वारा प्रति निरीक्षक चालन परीक्षण संख्या का मानदंड निर्धारित किया गया था। राज्य के ऐसे बडे जिले जिनमें शहर विकास प्राधिकरण गठित है एवं लाईसेंस कार्य की अधिकता है कि व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रति निरीक्षक चालन परीक्षण संख्या में बढोतरी किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः कार्यालय आदेश 12/2009 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए परिवहन कार्यालय जोधपुर व जयपुर में पदस्थापित प्रति परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक प्रतिदिन चालन परीक्षण संख्या की अधिकतम सीमा कमशः 40 चार पहिया वाहन (अथवा 80 दुपहिया वाहन) व 50 चार पहिया वाहन (अथवा 100 दुपहिया वाहन) निर्धारित की जाती है।

इसके अतिरिक्त आदेश कमांक 12/2009 को आपको यह भी निर्देशित किया गया था कि लाईसेंस आवेदकों के आवेदन पत्रों का इन्द्राज कम से एक पंजिका में किया जावे तथा इन लाईसेंस आवेदकों को ड्राईविंग टैस्ट के लिए उपस्थित होने हेतु निश्चित दिनांक व समय दिया जावे। अधोहस्ताक्षरकर्ता को शिकायतें मिली है कि इन निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है तथा लाईसेंस लिपिक द्वारा मनमर्जी से चालन परीक्षण की दिनांक दी जा रही है, जिससे लाईसेंस आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः इसं संबधं में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि लाईसेंस आवेदक के चालन परीक्षण कार्य इस बाबत संधारित पंजिका के कमानुसार ही किया जावे जिससे लाईसेंस आवेदकों में किसी प्रकार का असंतोष ना हो।

लाईसेंस आवेदकों के आवेदन पत्रों का इन्द्राज कमानानुसार करने हेतु संधारित की जाने वाली पंजिका का प्रफार्मा निम्नानुसार होगा :-

क्रमांक	दिनांक	आवेदक का नाम	लाईसेंस की श्रैणी	लर्निंग लाईसेंस कमांक एवं वैधता	चालन परीक्षण दिनांक एवं समय

जिन जिलों में ड्राईविंग ट्रेक पूर्ण रूप से बन गये हैं वहां ड्राईविंग ट्रेक पर ही वाहन चालन परीक्षण लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सख्ती से की जावे अन्यथा संबंधित अधिकारी /कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

प्रतिलिपि :- 39157-60
7.8.09

1. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण..............
2. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी..............
3. समस्त जिला परिवहन अधिकारी..............
4. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (नियम)